

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर  
पीठासीन अधिकारी :- प्रदीपसिंह सांगावत, आर.ए.एस.

**(1) प्रकरण संख्या 16/2022 (बांसवाड़ा डिक्री)**

इन्द्रजीत सिंह पिता स्वर्गीय भारतेन्द्र सिंह, जाति राजपूत, निवासी सुरपुर  
हाल निवास सुरपुर हाउस, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, बांसवाड़ा (राज.)

..... अपीलान्त

**बनाम**

1. उमराव सिंह पिता स्वर्गीय मोती सिंह, जाति राजपूत, निवासी सुरपुर,  
तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. गजेन्द्र सिंह पिता स्वर्गीय मोती सिंह, जाति राजपूत, निवासी सुरपुर,  
तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. राजेन्द्र सिंह पिता स्वर्गीय मोती सिंह, जाति राजपूत, निवासी सुरपुर,  
तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
4. मनोहर सिंह पिता दर्जन सिंह, जाति राजपूत, निवासी सुरपुर, तहसील व  
जिला बांसवाड़ा (राज.)
5. सूर्य सिंह पिता मनोहर सिंह, जाति राजपूत, निवासी सुरपुर, तहसील व  
जिला बांसवाड़ा (राज.)
6. राम सिंह पिता जोरावर सिंह, जाति राजपूत, निवासी सुरपुर, तहसील व  
जिला बांसवाड़ा (राज.)
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बांसवाड़ा, जिला बांसवाड़ा (राज.)

.....रेस्पॉन्डेन्टगण

उपस्थित :- 1. श्री महेन्द्र सिंह राठौड़ अभिभाषक अपीलान्त  
2. श्री मुकेश द्विवेदी अभिभाषक रेस्पॉन्डेन्टगण

-----::-----

**(2) प्रकरण संख्या 22/2022 (बांसवाड़ा डिक्री)**

1. उमराव सिंह पिता स्वर्गीय मोती सिंह, जाति राजपूत, निवासी सुरपुर,  
तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. गजेन्द्र सिंह पिता स्वर्गीय मोती सिंह, जाति राजपूत, निवासी सुरपुर,  
तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. राजेन्द्र सिंह पिता स्वर्गीय मोती सिंह, जाति राजपूत, निवासी सुरपुर,  
तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
4. मनोहर सिंह पिता दर्जन सिंह, जाति राजपूत, निवासी सुरपुर, तहसील व  
जिला बांसवाड़ा (राज.)



5. सूर्य सिंह पिता मनोहर सिंह, जाति राजपूत, निवासी सुरपुर, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
6. राम सिंह पिता जोरावर सिंह, जाति राजपूत, निवासी सुरपुर, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)

..... अपीलान्तगण

**बनाम**

इन्द्रजीत सिंह पिता स्वर्गीय भारतेन्द्र सिंह, जाति राजपूत, निवासी सुरपुर हाल निवास सुरपुर हाउस, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, बांसवाड़ा (राज.)

.....रेस्पोंडेन्ट

उपस्थित :- 1. श्री मुकेश द्विवेदी अभिभाषक अपीलान्तगण  
2. श्री महेन्द्र सिंह राठौड़ अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट

-----::-----

अपीलें अन्तर्गत धारा-223 राजस्थान  
का.अ.-1955 विरुद्ध निर्णय उपखण्ड  
अधिकारी बांसवाड़ा निर्णय व डिक्री  
दिनांक 24.08.2022 प्र.सं. 04 / 2020

-----::-----

**निर्णय**

**दिनांक 27-06-2024**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में इन्द्रजीत सिंह ने उमराव सिंह व अन्य के विरुद्ध एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 183, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की पैत्रिक कृषि आराजी नंबर 936 रकबा 4 बीघा भूमि ग्राम सुरपुर में स्थित है, जिस पर वादी का कब्जा अपने पिता के समय से चला आ रहा है। प्रतिवादीगण का उक्त आराजी में किसी प्रकार का कोई हक अधिकार नहीं होते हुए भी जबरन प्रवेश कर कब्जा करना चाहते हैं। उक्त आराजी के साबिक नंबर 255/451 कुल रकबा 65 बीघा 19 बिस्वा था। वादी के स्वामित्व की उक्त आराजी नंबर 936 का नक्शे में तरमीम नहीं होने के कारण वादी ने धारा 135 के तहत प्रकरण संख्या 35/2015 प्रस्तुत किया, जिसमें दिनांक 02-07-2015 को तरमीम के आदेश दिये गये, जिसके विरुद्ध प्रतिवादीगण द्वारा संभागीय आयुक्त न्यायालय में अपील संख्या 1/2019 प्रस्तुत की गयी, जो दिनांक 11-04-2019 को खारिज हो गयी। इसके बावजूद भी प्रतिवादीगण लड़ाई-झगड़ा करते हैं

तथा करीब 10 दिन पूर्व अनाधिकृत प्रवेश कर जबरन फसल बो दी। अतः प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाकर कब्जा वादी को दिलाया जावे।

प्रतिवादीगण की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया, जिसका जवाबुल जवाब वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में 4 तनकियां कायम की गयी एवं उभयपक्षों की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 24-08-2022 से वादी का वाद एवं प्रतिवादीगण का काउण्टर क्लेम खारिज कर दिया।

उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 24-08-2022 से रूष्ट होकर अपील संख्या 16/2022 वादी इन्द्रजीत सिंह द्वारा दिनांक 16-09-2022 को तथा अपील संख्या 22/2022 प्रतिवादी उमराव सिंह व अन्य द्वारा दिनांक 04-11-2022 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपीलें दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर उनके अधिवक्तागण उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

दोनों ही अपीलें अधिनस्थ न्यायालय के एक ही प्रकरण संख्या 04/2020 दिनांक 24-08-2022 को पारित निर्णय व डिक्री के विरुद्ध क्रोस अपीलें होने तथा विवादित आराजियात समान होने से दोनों अपीलों का एक ही निर्णय लिखाया जा रहा है। निर्णय की एक-एक प्रति संबंधित पत्रावली पर रखी जावे।

अपीलान्ट/प्रतिवादी उमराव सिंह व अन्य द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 22/2022 के साथ 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त निर्णय व डिक्री की नकल का आवेदन उनके द्वारा दिनांक 25-08-2022 को प्रस्तुत कर दिया गया था, जिसकी नकल अपीलान्ट को दिनांक 02-09-2022 को प्राप्त हुई। दिनांक 23-10-2022 से दिनांक 26-10-2022 तक राजकीय एवं दीपावली अवकाश होने से दिनांक 04-11-2022 को अपील समयावधि में प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः प्रार्थना

पत्र स्वीकार कर अपीलें अन्दर मियाद शुमार की जावे। तार्ईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दोनों अपीलें श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है, अपील संख्या 22/2022 के विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों का तनकियात में विवेचन नहीं किया है तथा प्रत्येक तनकी का विवेचन किये बिना अपीलान्ट/प्रतिवादीगण का काउण्टर क्लेम खारिज करने में भूल की है। वादी/रेस्पोंडेन्ट ने यह स्वीकार किया है कि 936/451-555 कुल रकबा 65 बीघा 19 बिस्वा के मूल खातेदार महाराजा साहब भारतेन्द्र सिंह पुत्र अभय सिंह जी द्वारा दिनांक 25-06-1971 को पंजीकृत विक्रय पत्र से सर्वे नंबर 936 रकबा 65 बीघा 19 बिस्वा में से 14 बीघा 10 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता मोतीसिंह को विक्रय किया था। तथा उक्त दिनांक को ही 14 बीघा 10 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 4 मनोहरसिंह को विक्रय किया गया था तथा उक्त दिनांक को ही 15 बीघा 01 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 6 रामसिंह को विक्रय किया था। क्रय दिनांक से प्रतिवादीगण निरन्तर काबिज होकर लगान सरकार में अदा करते चले आ रहे हैं। अपीलान्ट/प्रतिवादीगण ने मुख्य परीक्षण में डी.डब्ल्यू. 1 से 4 तक गवाह प्रस्तुत कर अपने काउण्टर क्लेम को साबित कराया है, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त करते हुए अपीलान्टगण का काउण्टर क्लेम स्वीकार फरमाया जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए एवं अपनी अपील संख्या 16/2022 के समर्थन में विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने निवेदन किया कि विवादित सर्वे नंबर 936 का मूल खसरा नंबर 255/451 कुल रकबा 65 बीघा 19 बिस्वा था। अपीलान्ट/वादी के स्वामित्व का खसरा नंबर 936 नक्शे में तरमीम नहीं होने के कारण अपीलान्ट/वादी ने धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा द्वारा

तरमीम के आदेश दिये गये। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त/वादी को खातेदार कृषक माना है तथा वादी ने अपनी साक्ष्य में यह पूर्णतया साबित किया है कि वादी की उक्त कृषि भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा अनाधिकृत प्रवेश कर सोयाबीन की फसल बोई गयी है, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने आनन-फानन में प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरुद्ध निर्णय पारित कर दिया, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे तथा अपीलान्त/वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। जहां तक अपील संख्या 16/2022 का प्रश्न है, यह स्वीकृत स्थिति है कि विवादित आराजी नंबर 936 का मूल खसरा नंबर 255/451 होकर कुल रकबा 65 बीघा 19 बिस्वा था तथा यह भी स्वीकृत स्थिति है वादी/अपीलान्त के पिता भारतेन्द्र सिंह उक्त आराजी के खातेदार थे एवं उनके द्वारा उक्त 4 बीघा भूमि का विक्रय नहीं किया गया है तथा उक्त 4 बीघा भूमि वर्तमान में भी वादी इन्द्रजीतसिंह के नाम दर्ज है, किन्तु नक्शे में सही तरमीम नहीं होने से वादी द्वारा उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा में धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें दिनांक 02-07-2015 को उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा द्वारा तरमीम के आदेश दिये गये। उक्त निर्णय के विरुद्ध प्रतिवादी मोतीसिंह, रामसिंह व मनोहरसिंह द्वारा अतिरिक्त संभागीय आयुक्त में धारा 96 जा.दी. के साथ अपील प्रस्तुत की गयी है, जो खारिज हुई है। अधिनस्थ न्यायालय ने विवादित भूमि वादी के आधिपत्य की मानते हुए तनकी नंबर 1 वादी के पक्ष में निर्णित की है, किन्तु उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर जबरन कब्जा करने के तथ्य को नहीं मानते उक्त तनकी वादी के विरुद्ध निर्णित की है, जो प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्यों के अनुकूल नहीं होने से अपास्त योग्य है।

जहां तक प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 22/2022 का प्रश्न है, प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता मोतीसिंह द्वारा 14 बीघा 10 बिस्वा, प्रतिवादी संख्या 4 मनोहरसिंह द्वारा 14 बीघा 10 बिस्वा एवं प्रतिवादी संख्या 6 रामसिंह द्वारा 15 बीघा 01 बिस्वा

कुल 44 बीघा 1 बिस्वा भूमि ही कय की जाना प्रकट होता है, जबकि विवादित आराजी का कुल रकबा 65 बीघा 19 बिस्वा था। ऐसी स्थिति में उक्त 4 बीघा भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा जो प्रवेश किया गया है, वह अनाधिकृत होकर वादी कब्जा पुनः प्राप्त करने का अधिकारी है। धारा 63 (4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादी के किसी प्रकार के स्वत्व अधिकार समाप्त नहीं होते हैं। अधिनस्थ न्यायालय ने भी धारा 63 (4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत् बनायी गयी तनकी नंबर 4 प्रतिवादीगण के विरुद्ध निर्णित की है, जो उपलब्ध साक्ष्यों अनुसार होकर विधि सम्मत है।

उपरोक्तानुसार विवेचन से अपील संख्या 16/2022 स्वीकार की जाती है तथा अपील संख्या 22/2022 सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 24-08-2022 में आंशिक संशोधन किया जाकर वादी का वाद खारिज किये जाने के बिन्दु को अपास्त किया जाता है तथा प्रतिवादीगण का प्रतिवाद खारिज किये जाने के बिन्दु को यथावत रखा है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 27-06-2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीपसिंह सांगावत)  
भू-प्रबन्ध अधिकारी  
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी  
उदयपुर

**डिगरी व सीगे अपील**  
(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)  
(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.....मुकाम.....उदयपुर.....  
व इजलास .....प्रदीपसिंह सांगावत, आर.ए.एस. ....

इन्द्रजीतसिंह पिता स्व. भारतेन्द्रसिंह जी, बनाम उमरावसिंह पिता स्व. मोतीसिंह जी,  
जाति राजपूत, नि० सुरपुर हाल निवासी जाति राजपूत, निवासी सुरपुर, तह०  
सुरपुर हाउस, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, व जिला बांसवाड़ा व अन्य  
बांसवाड़ा, जिला बांसवाड़ा

अपील नं.....16/2022.....व नाराजगी डिगरी अदालत ....उपखण्ड अधिकारी.....  
.....बांसवाड़ा..... मुकाम.....मुवर्खे.....24.....माह.....08.....2022

**दावा बाबत**

यह अपील व तारीख.....27.....माह.....06.....सन् 2024 रुबरू.....पक्षकारान  
व हाजरी.....श्री महेन्द्रसिंह राठौड़.....मिनजानिब अपीलान्त व.....श्री मुकेश द्विवेदी  
.....रेस्पॉन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.... अपील अपीलान्त  
स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक  
24-08-2022 में आंशिक संशोधन किया जाकर वादी का वाद खारिज किये  
जाने के बिन्दु को अपास्त किया जाता है तथा प्रतिवादीगण का प्रतिवाद  
खारिज किये जाने के बिन्दु को यथावत रखा है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.....).....रुपये .... X.....  
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... X .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....27.....माह.....06.....2024  
को जारी किया गया।

(प्रदीपसिंह सांगावत)  
भू-प्रबन्ध अधिकारी  
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी  
उदयपुर

**खर्चा अपील**

अपीलान्त	रु०	पै०	रेस्पॉन्डेन्ट	रु०	पै०
1. स्टाम्प अपील ... ..			1. स्टाम्प वकालत नामा...		
2. स्टाम्प वकालत नामा ....			2. स्टाम्प अर्जी .....		
3. इजराय हुक्मनामा .....			3. इजराय हुक्मनामा .....		
4. वकील फीस बाबत .....			4. मेहनताना वकील.....		
मीजान .....			मीजान .....		

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये  
दिलाया गया हो।

**डिगरी व सीगे अपील**  
(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)  
(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.....मुकाम.....उदयपुर.....  
व इजलास .....प्रदीपसिंह सांगावत, आर.ए.एस. ....

उमरावसिंह पिता स्व. मोतीसिंह जी, बनाम इन्द्रजीतसिंह पिता स्व. भारतेन्द्रसिंह जी,  
इन्द्रजीतसिंह पिता स्व. भारतेन्द्रसिंह, जाति राजपूत, नि० सुरपुर हाल निवासी  
जाति राजपूत, निवासी सुरपुर, तह० सुरपुर हाउस, बैंक ऑफ बड़ौदा के  
व जिला बांसवाड़ा व अन्य सामने, बांसवाड़ा, जिला बांसवाड़ा

अपील नं.....22 / 2022.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....उपखण्ड अधिकारी.....  
.....बांसवाड़ा..... मुकाम.....मुवर्खे.....24.....माह.....08.....2022

**दावा बाबत**

यह अपील व तारीख.....27.....माह.....06.....सन् 2024 रूबरू.....पक्षकारान  
व हाजरी.....श्री मुकेश द्विवेदी .....मिनजानिब अपीलान्त व.....श्री महेन्द्रसिंह राठौड़  
.....रेस्पोंडेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.... अपील अपीलान्त  
सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री  
दिनांक 24-08-2022 में आंशिक संशोधन किया जाकर वादी का वाद  
खारिज किये जाने के बिन्दु को अपास्त किया जाता है तथा प्रतिवादीगण का  
प्रतिवाद खारिज किये जाने के बिन्दु को यथावत रखा है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.....).....रूपये .... X.....  
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... X .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....27.....माह.....06.....2024  
को जारी किया गया।

(प्रदीपसिंह सांगावत)  
भू-प्रबन्ध अधिकारी  
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी  
उदयपुर

**खर्चा अपील**

अपीलान्त	रू०	पै०	रेस्पोंडेन्ट	रू०	पै०
1. स्टाम्प अपील ... ..			1. स्टाम्प वकालत नामा...		
2. स्टाम्प वकालत नामा .....			2. स्टाम्प अर्जी .....		
3. इजराय हुक्मनामा .....			3. इजराय हुक्मनामा .....		
4. वकील फीस बाबत .....			4. मेहनताना वकील.....		
मीजान .....			मीजान .....		

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये  
दिलाया गया हो।